संख्या-101/2020/2119/छप्पन-2020-20(सा0)/2020

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2020

विषय: निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, उ0 प्र0, लखनऊ के पदनाम से सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम बैंक में बचत खाता खोले जाने के सम्बन्ध में |

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-326/एटीआई/कौ0वि0मि0/2020 दिनांक 05 नवम्बर, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय वित्तीय नियम संग्रह-5, भाग-1 के प्रस्तर-22 बी एवं कोषागार नियमावली की धारा-7 के प्राविधानों के अधीन उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रस्तावित कोर्सों को कराने जाने हेतु नागरिक उड्डयन निदेशालय की इकाई एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इस्टीट्यूट, उ0प्र0 के निदेशक के पदनाम से निकटतम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंक में 'बचत खाता' खोले जाने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत बैंक खाते का सञ्चालन निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इस्टीट्यूट ,उ0प्र द्वारा किया जाएगा |

(2) प्रश्नगत बैंक खाते का प्रयोग मात्र उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के पाठयक्रमों के संचालन हेतु ही किया जाएगा। किसी अन्य कार्य हेतु इस बैंक खाते का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। अन्यथा इसके लिये निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इस्टीट्यूट, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे ।

(3) प्रश्नगत बैंक खाता योजनावधि तक चालू रखा जाएगा । योजनावधि के समाप्ति के पश्चात् नियमानुसार खाते को बंद कर दिया जाएगा।

(4) प्रश्नगत बैंक के संचालन एवं रख-रखाव आदि में वित्तीय नियमों एवं आदेशों का समुचित अनुपालन किया जाएगा।

(5) प्रश्नगत बैंक खाते के खुलने की तिथि से जमा धनराशि पर जो ब्याज अर्जित किया जाएगा, उसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में राजकोष में तत्काल जमा किया जाए |

(6) राजकोष में जमा किये गए ब्याज के ट्रेज़री चालान की एक प्रति शासन को समय-समय पर उपलब्ध कराया जाए |

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इस्टीट्यूट, उ0प्र0 द्वारा वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010, दिनांक 21 मार्च, 2012 व शासनादेश संख्या-10/2015-ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010, दिनांक 29 मई, 2015 शासनादेश संख्या-14/2015-ए-1-879/दस-2015-10(33)/2010, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 व शासनादेश संख्या-3/2016-ए-1170/दस-2016-10(33)/2010, दिनांक 23 फरवरी, 2016 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा |

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: एफ0ए-1-116/दस-2020, दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

पृ0सं0-101/2020/2119(1)/छप्पन-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।